न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2019/00091

श्रीमती खुशबू पुत्री श्री घनश्याम एवं फूला बाई आयु 36 वर्ष जाति अहीर निवासी रावतभाटा जिला चित्तौडगढ ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती रतन बाई पत्नी श्री चौथमल आयु 61 वर्ष जाति अहीर निवासी ग्राम देवली कलां तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री दीपक कुमार साहू, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांक: 08.01.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.02.2019 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम देवली कलां में कुल 05 किता की 21 बीघा 17 बिस्वा एवं ग्राम देवलीकलां तहसील रामगंजमण्डी में खसरा नम्बर 606 की रकबा 12 बीघा 18 बिस्वा भूमि स्थित है । ग्राम देवलीकलां में स्व0 माधु जी के खाते की आराजी बाद सेटलमेंट नये खसरा नम्बर 12 रकबा 1.26 हैक्टर, खसरा नम्बर 208 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 209 रकबा 0.92 हैक्टर, खसरा नम्बर 570 रकबा 0.58 हैक्टर, खसरा नम्बर 573 रकबा 0.07 हैक्टर, खसरा नम्बर 926 रकबा 0.52 हैक्टर कायम किये गये । ग्राम अरलाई के बाद सेटलमेंट हाल खसरा नम्बर 819 रकबा 2.09 हैक्टर कायम किया गया । प्रार्थिया के नाना माधु जी अपने जीवनकाल तक उक्त पर बहैसियत खातेदार काबिज काश्त करते रहे । माधु जी की मृत्यु दिनांक 05.04.1961 को हो गई उनकी मृत्यु के बाद फौती इंतकाल की कार्यवाही

प्रार्थिया के मामा द्वारा ग्राम पचांयत देवली कलां में की गई जिसमें मृतक के दोनों वारिसान पुत्र चौथमल एवं पुत्री फूला बाई का वर्णन नहीं कर एक मात्र वारिस चौथमल को दर्ज कर सम्पूर्ण सम्पत्ति कृषि भूमि अकेले चौथमल के नाम इंतकाल संख्या 50 दिनांक 04.09.1962 को बिना कोई जॉच किये इंतकाल तस्दीक कर दिया जबकि माधु जी की पुत्री प्रार्थिया की माता फूला बाई भी मौजूद थी । प्रार्थिया की माता का देहान्त दिनांक 06.05.1981 को हुआ । प्रार्थिया की माता के देहान्त के बाद प्रार्थिया के मामा एवं अप्रार्थी कम 01 जिनके कोई संतान नहीं रही दोनों प्रार्थिया को अपने साथ ले आये और प्रार्थिया अपने मामा एवं अप्रार्थी कम 01 के पास ही बडी हुई । इस कारण प्रार्थिया ने भी अपने नाना के खाते एवं कब्जे काश्त की । उक्त सम्पत्ति जिसमें प्रार्थिया की माता का आधा हिस्सा माधु जी की मृत्यु के बाद हक विरासत के आधार पर बना इससे सम्बन्धित राजस्व अभिलेख की जानकारी नहीं रही । प्रार्थिया की माता के देहान्त के बाद प्रार्थिया के नाना से हक विरासत में प्राप्त उक्त दोनों गॉवों की भूमि में प्रार्थिया का 1/2 हिस्सा कायम चला आ रहा है किन्तु राजस्व रिकॉर्ड में नाम अंकित नहीं है । प्रार्थिया के मामा चौथमल का स्वर्गवास दिनांक 25.04.2017 को हो गया उनकी मृत्यु के बाद फौती इंतकाल संख्या 421 दिनांक 06.07.2017 एवं इंतकाल संख्या 409 दिनांक 11.07.2017 को तस्दीक कर सम्पूर्ण आराजी अकेले अप्रार्थी कम 01 के नाम दर्ज कर दी। अप्रार्थी कम 01 वादग्रस्त आराजी को राजस्व रिकॉर्ड में अकेले के नाम दर्ज होने का फायदा उठाकर खुर्द–बुर्द करने अथवा भारग्रस्त करने पर आमादा है जिसका उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं है ।

3. अतः प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थिया के पक्ष में अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि ताफैसला वाद प्रार्थिया के 1/2 हिस्से तक प्रार्थिया को काश्त करने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे और न ही उक्त भूमि को किसी प्रकार से खुर्द–बुर्द अथवा भारग्रस्त करे और न ही राजस्व रिकॉर्ड में किसी प्रकार का बदलाव करे। उक्त कृत्य न तो स्वयं अप्रार्थीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 22.02.2019 के द्वारा प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22.02.2019 से व्यथित होकर प्रार्थिया अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी के खातेदार माधु जी थे उनके देहान्त के बाद उनके पुत्र चौथमल एवं पुत्री फूला बाई उक्त भूमि के खातेदार हुए जिनमें उन दोनों का समान रूप से 1/2 – 1/2 हिस्सा था । चौथमल जी के देहान्त के बाद 1/2 हिस्से की स्वामिनी उनकी पत्नी रतन बाई बनी उनके अन्य कोई सन्तान नहीं थी और फूला बाई के देहान्त के बाद उनकी पुत्री खुशबू 1/2 हिस्से की खातेदार बनी इस विधिक स्थिति को नहीं समझकर निर्णय पारित किया है । राजस्व रिकॉर्ड में अकेले चौथमल का नाम दर्ज हो जाने से अपीलान्ट के अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पडता है । राजस्व रिकॉर्ड केवल लगान जमा कराने के उद्देश्य के लिए होते हैं उससे कोई स्वत्व प्राप्त नहीं होता है । राजस्व रिकॉर्ड में अपीलान्ट का नाम दर्ज नहीं होने के आधार पर प्रथमदृष्टया प्रकरण रेस्पोडेन्ट के पक्ष में मानने में त्रुटि की है । वादग्रस्त आराजी में अपीलान्ट का 1/2 हिस्सा निहित है । अपीलान्ट ने अपने पक्ष

के समर्थन में तीन शपथ पत्र भी प्रस्तुत किये हैं । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.02.2019 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के अनुपस्थित आने से अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई ,।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अपीलान्ट प्रार्थिया ने रेस्पोडेन्ट के खिलाफ एक दावा हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया था । वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट के नाना माधु जी के खातेदारी अधिकार की थी । माधु जी का देहान्त सन् 1961 में हो चुका है । उनके एक पुत्र चौथमल व एक पुत्री फूला बाई थी । फूला बाई की पुत्री अपीलान्ट है एवं चौथमल की विधवा रतन बाई रेस्पोडेन्ट क्रम 01 है । चौथमल व फूला बाई का देहान्त हो चुका है माधु जी के देहान्त के पश्चात् उक्त भूमि अकेले चौथमल जी के नाम अंकित कर दी गई जबकि अपीलान्ट की माता फूला बाई भी मौजूद थी उनका नाम 1/2 हिस्से में दर्ज किया जाना चाहिए था । अपीलान्ट 1/2 हिस्से की खातेदार घोषणा होने की अधिकारिनी है । इंतकाल अपीलान्ट की माता के पक्ष में नहीं खोलने के आधार पर अपीलान्ट के अधिकार समाप्त नहीं हो जाते हैं । रेस्पोडेन्ट के द्वारा इस बात से इंतकार नहीं किया गया है कि फूलाबाई माधु जी की पुत्री थी । यदि रेस्पोडेन्ट, अपीलान्ट के 1/2 हिस्से का बेचान कर देंगे तो अपीलान्ट को अपूर्णीय क्षति होगी । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.02.2019 निरस्त फरमाया जावे ।

8. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मैं फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2071–74 वाके ग्राम अरलाई संलग्न है जिसके अनुसार नया खाता संख्या 48 की खसरा नम्बर 819 रकबा 2.09 हैक्टर भूमि चौथमल पुत्र माधो जी जाति अहीर के खातेदारी में दर्ज है । फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2071–75 वाके ग्राम देवलीकलां संलग्न है जिसके अनुसार नया खाता संख्या 79 की कुल 07 किता की 3.48 हैक्टर आराजी चौथमल पुत्र माधो जी जाति अहीर के खातेदारी में दर्ज है जिस पर नामान्तरकरण संख्या 347 का नोट अंकित है । फोटो प्रति नक्शा ट्रेस संलग्न है, फोटो प्रति खसरा गिरदावरी संवत् 2071–74, फोटो प्रति नकल मिलान क्षेत्रफल, माधुजी का मृत्यु प्रमाण पत्र, फोटो प्रति फूला बाई का मृत्यु प्रमाण पत्र भी संलग्न है । फोटो प्रति नकल नामान्तरकरण संख्या 100 संलग्न है जिसके अनुसार माधु जी की मृत्यु हो जाने पर वादग्रस्त आराजी चौथमल के खाते दर्ज हुई है । नामान्तरकरण संख्या 421 एवं 409 की फोटो प्रति पत्रावली पर संलग्न है जिसके अनुसार चौथमल की मृत्यु हो जाने पर वादग्रस्त आराजी रतनबाई के खाते दर्ज की गई है । फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत 2018–21 संलग्न है जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजी माधु जी के खाते में दर्ज है ।

9. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर रेस्पोडेन्ट की ओर से जो जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया है उसमें यह कथन किया गया है कि माधु जी की मृत्यु के बाद समस्त कृषि भूमि पर चौथमल का कब्जा रहा है और उनकी मृत्यु के बाद रतन बाई तन्हा मालिक एवं खातेदार रही है कुछ आराजी का बेचान कर दिया गया है और कुछ आराजी शेष रही है । खुशबू प्रार्थिया रतनबाई के पास नहीं रही है वरन् रावतभाटा में निवास करती थी । प्रार्थिया अपीलान्ट ने यह कथन करते हुए दावा पेश किया है कि उनकी माता फूला बाई माधु जी की पुत्री थी और इस नाते वादग्रस्त आराजी में उनका 1/2 हिस्सा निहित था । माधु जी की मृत्यु हो जाने पर इंतकाल अकेले उनके पुत्र चौथमल के नाम दर्ज किया गया है । यद्यपि पक्षकारों के अधिकार एवं स्वत्व मूल दावे में साक्ष्य के दौरान तय होंगे इस स्टेज पर नहीं परन्तु इस स्टेज पर फूला बाई की पुत्री होने के नाते अपीलान्ट प्रार्थिया का प्रथमदृष्टया वादग्रस्त आराजी में 1/2 हिस्सा निहित होना हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार प्रतीत होता है । तद्नुसार हम रेस्पोडेन्ट को अपीलान्ट के 1/2 हिस्से की सीमा तक आराजी का बेचान एवं खुर्द–बुर्द नहीं करने हेतु जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित समझते हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थिया अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज करने में विधिक त्रुटि की है। प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति अपीलान्ट के पक्ष में तय पायी जाती है ।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.02.2019 निरस्त किया जाता है । रेस्पोडेन्टगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजी में अपीलान्ट के निहित प्रथमदृष्टया 1/2 हिस्से को रहन, बेचान एवं खुर्द–बुर्द नहीं करें ।

11. निर्णय आज दिनांक 08.01,2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

8/1/2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा